

पत्र संख्या-स्था-2-प्रशिक्षण कार्यक्रम/2025-26/COMP NO518253/ 2851 /
राज्य कर।

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र०
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक :: 12/9/2025

// आदेश //

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, मोहन नगर, गाजियाबाद में FUNCTIONING OF MOBILE UNITS के सम्बन्ध में दिनांक 16-09-2025 से 18-09-2025 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तक प्रस्तावित है, जिसमें प्रतिभाग करने हेतु निम्न अधिकारियों को नामित किया जाता है:-

SN	EMPID	NAME	DES	OFF_NAME	MOBILE
1.	126562	Bhim	AC	AC (Mobile Squad) - 9,Agra	9451047982
2.	126037	Nivedita Singh Ms.	AC	AC (Mobile Squad) -10.Agra	9761960404
3.	125715	Pallavi Saxena Ms.	AC	AC (Mobile Squad) -4,Ghaziabad H/o Hapur	7235002384
4.	125786	Pramod Kumar Chaudhary	AC	AC (Mobile Squad) -8.Ghaziabad	9532934257
5.	124776	Prashant Kumar-Ii	AC	AC (Mobile Squad) -1,Shamli	6396899714
6.	125109	Pushp Raj Singh	AC	AC (Mobile Squad) - 1,Mathura	8840256231
7.	124807	Ram Naresh Singh	AC	AC (Mobile Squad) -1,Meerut	7235002853
8.	124502	Shrawan Kumar	AC	AC (Mobile Squad) -2,Meerut	9450072815
9.	126195	Vidisha Kasturi Ms.	AC	AC (Mobile Squad) - 2,Muzaffarnagar	8527601551
10.	124730	Vikash Chandra	AC	AC (Mobile Squad) - 1,Aligarh	9639108303
11.	127217	Amit Kumar	STO	AC (Mobile Squad) - 2,Agra	7042926608
12.	991015	Amit Kumar (1st)	STO	AC (Mobile Squad) Kasganj	8112445694
13.	127157	Anmol Mittal	STO	AC (Mobile Squad) - 4,Agra	9410452683
14.	126550	Ashok Mishra	STO	AC (Mobile Squad) -4,Meerut	9415463640
15.	126197	Dharampal Singh	STO	AC (Mobile Squad) - 7,Agra	9956380884
16.	127420	Jitendra Raman	STO	AC (Mobile Squad) -5,Agra	9450080552
17.	127009	Kamini Agarwal Smt	STO	AC (Mobile Squad) hathras	8439281176
18.	126762	Rakesh Sharan Khanna	STO	AC (Mobile Squad) Bagpat	9319951530
19.	126208	Shikha Gupta-Ii Ms.	STO	AC (Mobile Squad) - 4,Mathura	8958750921
20.	125851	Shikha Shah Ms.	STO	AC (Mobile Squad) - 3,Agra	7248317691
21.	127294	Sunil Kumar	STO	AC (Mobile Squad) -3,Ghaziabad	9171672612

प्रशिक्षण में अधिकारियों की उपस्थिति प्रशिक्षण संस्थान में आने के उपरान्त दिनांक 16-09-2025 से ही मान्य होगी। उक्त नामित अधिकारी अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, मोहन नगर, गाजियाबाद के कार्यालय में प्रत्येक दशा में उक्त दिनांक 16-09-2025 की प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी। नामित अधिकारियों की अनुपस्थिति की दशा में पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

नामित अधिकारी प्रशिक्षणोपरान्त अपने वर्तमान तैनाती / सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियन्त्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। अधिकारियों के अपेक्षित कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार है:-

- कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं प्रातः 9 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी होगी। इसके उपरान्त किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- प्रशिक्षण अवधि में हॉस्टल में आवंटित कक्ष को अपनी इच्छा से बदलने की किसी अधिकारी को

5003
श्रीमती पूर्णेश
12/9/25
D.C.(H.T.)
15-9-25

अनुमति नहीं होगी।

- अधिकारियों को अपने कमरे में अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पति/पत्नी या कोई अन्य) को बुलाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं है। अतः प्रशिक्षण संस्थान में योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लायें।
- संस्थान में अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक/शालीन पहनावे में रहना होगा।
- अधिकारियों के खान-पान की व्यवस्था संस्थान की मेस में रहेगी। मेस में भोजन का व्यय अधिकारियों को वहन करना होगा। हॉस्टल के कक्षों में खाना बनाना / मंगाना निषिद्ध है। मेस में अतिथियों को भोजन हेतु सामग्री लाना वर्जित होगा।
- प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान जिन अधिकारियों के पास मोबाइल फोन पाया जायेगा उसे जब्त कर लिया जायेगा तथा ऐसे अधिकारियों पर संस्थान द्वारा उचित जुर्माना भी आरोपित किया जायेगा।
- प्रशिक्षण संस्थान में जिन अधिकारियों को मद्यपान, सिगरेट या तम्बाकू आदि का सेवन करते हुए पाया जायेगा या जिनके पास ऐसी निषिद्ध सामग्री पायी जायगी उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही सम्बन्धित नियम के तहत अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।
- प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा।
- प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में मुख्यालय के आदेश सं० 4905 दि० 15.03.2018 के प्रस्ताव 'ग' के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश राज्य कर, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

Digitally signed by
DHANANJAY SHUKLA

12-09-2025

अप० १४३५ राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, राज्य कर अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर निदेशक राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त राज्य कर उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जोन में तैनात अधिकारी को अपने स्तर से भी नामित करने का कष्ट करें।
5. ज्याइन्ट कमिश्नर (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को सूचनार्थ।
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) राज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि EIMS MODULE पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
JASMINE (जस्मिन)

Date: 12-09-2025 आयुक्त(स्थापना)
14:18:55 राज्य कर मुख्यालय,
लखनऊ।